गाँधी जी के आदर्श समाज में राज्य जैसी किसी संस्था की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। अमीर और गरीब का भेद भी मिट जायेगा। मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी सीमित हो जायेंगी कि वे प्रकृति के निकट रहकर शारीरिक श्रम से ही उसे पूरा किया जा सकता है। परन्तु इस अवस्था तक पहुँचना बहुत कठिन है। ऐसे आदर्श समाज की स्थापना के लिए सबों का चरित्र अत्यंत उन्नत होना चाहिए। यह एक लम्बा रास्ता होगा। अतः तात्कालिक व्यवस्था के लिए गाँधी जी एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया, जो उनके न्यासिता या ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त (Theory of Trusteeship) में निहित है।

गाँधी जी का यह सिद्धान्त अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि किसी के पास अधिक सम्पत्ति हो गई है, तो उसे उसको अपना न समझकर ईश्वर की तथा समाज की समझनी चाहिए। विश्व की सभी वस्तुओं पर ईश्वर का स्वामित्व है मनुष्य को अपने परिश्रम और आवश्यकतानुसार, इसमें से अपना हिस्सा लेने का अधिकार है। अतः मनुष्य किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि इसका संरक्षक (Trustee) है। गाँधी जी का कहना है कि जब तक मनुष्य सभी यांत्रिक साधनों के बिना काम चलाने में समर्थ नहीं हो जाते और जब तक बड़े-बड़े उद्योगों, भारी मशीनों और बड़े-बड़े व्यापारिक - व्यवसायों को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक यह निश्चित करना जरूरी है कि बड़े-बड़े उद्योगों का प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में हो और वे व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के साधन या 'हिंसा' के उपकरण न रह जाय। इसके लिए गाँधी पूँजीपतियों के 'हृदय परिवर्तन' (Change of Heart) की बात करते हैं ताकि पूँजीपति अपनी सम्पदा को निजी सम्पत्ति (private property) न समझकर सम्पूर्ण समाज की धरोहर (Trust) समझें।

गाँधी जी आर्थिक विषमताओं का अन्त करने के पक्ष में थे लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अन्तर्गत अमीरों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उसका प्रयोग सार्वजनिक हित में करने की बात कही गई है। गाँधी जी का कहना था कि हिंसात्मक होने के कारण, साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती और पूँजीपति वर्ग को पूर्णतया नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जायेगा। इस सन्दर्भ में गाँधी का कहना है कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति ली जा सके, तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गाँधी ने Theory of Trusteeship का प्रतिपादन किया।

Scanned by CamScanner

गाँधीजी को अमीरों से उनकी सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों को बल-पूर्वक छीनने का हिंसात्मक मार्ग पसन्द नहीं था, इससे समाज में कटुता, द्वेष, तनाव और वर्ग संघर्ष का हिंसक वातावरण बनेगा, जो समाज के हित में नहीं होगा।

गाँधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के अनुसार, अमीर लोगों को स्वेच्छापूर्वक यह समझना या समझाना चाहिए कि उनके पास जो सम्पत्ति है, वह समाज की धरोहर है। वे इसमें से केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए धनराशि ही ले सकते हैं, शेष राशि इन्हें समाज की दृष्टि से हितकर कार्यों में लगा देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अमीर अपनी जीवन निर्वाह से बची हुई सम्पत्ति को निर्धन व्यक्तियों में बाँट दें। ऐसा करने पर तो वह सम्पत्ति उपभोग में आकर शीघ्र नष्ट हो जायेगी। वरन् अमीरों को अपनी फालतू सम्पत्ति को ऐसे उद्योग-धन्धों में लगाना चाहिए, जिससे आम लोगों को रोजगार मिल सकें। इससे दूसरों को काम देकर तथा उत्पादन बढ़ाकर अपनी पूँजी का सदुपयोग सार्वजनिक हित के कल्याण एवं वृद्धि के लिए करना चाहिए। जमींदारों को अपनी फालतू जमीन भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को जोतने-बोने के लिए दे सकते हैं।

प्रश्न उठता है कि अमीर लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी सम्पत्ति समाज को समर्पित करने के लिए कैसे और क्यों तैयार होंगे। इस सन्दर्भ में गाँधी का कहना है कि मानवीय प्रकृति की उदारता, शिष्टता और सुधार में विश्वास रखता है। गाँधी जी कहना है कि प्रारम्भ में दो-चार साधुस्वभाव वाले पूँजीपति कर्तव्य-बुद्धि से प्रेरित होकर, अपनी सम्पत्ति को समाज की अमानत समझने लगेंगे। बाद में उनसे प्रेरणा लेकर अन्य अमीर व्यक्ति भी उनका अनुसरण करेंगे परन्तु ऐसे भी अमीर होंगे, जो अपनी सम्पत्ति को स्वेच्छापूर्वक परित्याग करने के लिए तैयार न हो। गाँधी जी के अनुसार ऐसे को अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह के साधनों के द्वारा सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में उद्यमशील और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की योग्यता से समाज को लाभ होगा तथा सम्पत्ति से पैदा होने वाला शोषण और अन्याय से समाज मुक्त होगा। ऐसी स्थिति में अहिंसा पर आधारित वर्गहीन और शोषणहीन समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और आर्थिक समानता और स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा सकती है।

(i) फिर भी गाँधीजी के इस सिद्धान्त की आलोचनाएं हुई है। आलोचकों का कहना है कि यह गाँधी जी का कोरा सिद्धान्त आदर्शवाद है। व्यवहार में यह संभव नहीं है। अमीर कभी भी तैयार नहीं होगा। (ii) मानव के हृदय परिवर्तन की भी अवधारणा में ~~[illegible]~~ संभव नहीं है। (iii) अमीर [illegible]